POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 नवम्बर, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

प्रदेश के शहर ही नहीं गांवों की डगर-डगर तक लोग चुनावी रंग में सराबोर हैं। चुनाव में खड़े विभिन्न दलों के प्रत्याशी लोगों से व्यक्तिशः संपर्क करने में व्यस्त हैं। मीडिया की नजर गांवों की चौपालों व चाय-पान की दुकानों तक लगी हैं। क्योंकि, यहां पर सबसे ज्यादा चुनावी चर्चाएं चलती हैं। यहां लोग बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार अथवा पेट्रोल-डीजल के दामों से बढ़ती महंगाई, जातिवाद हो या प्रत्याशियों द्वारा की जा रही घोषणाओं के पुलिन्दों पर अपने-अपने तर्क और बातें दिल खोलकर करते देखे जा सकते हैं।

अगस्त-सितंबर 2023 में कराए गए 'ग्राम गदर' जनमत सर्वेक्षण में ऐसे ही कई महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आए हैं। अब ज्यादातर लोग प्रत्याशी की योग्यता को देखकर वोट देना पंसद करना चाहते हैं। लोगों ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या माना है। उनका कहना है कि प्रदेश की नई सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने उसे अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। योजनाएं ऐसी बने जिनसे गांवों का विकास हो और लोगों को रोजगार के अवसर मिले।

सवाई माधोपुर के एक मतदाता का कहना है कि हर साल सरकार जो बजट और योजनाएं बनाएं उनके लिए निर्धारित धन ईमानदारी से खर्च हो। सरकार सुनिश्चित करे कि हर वादे को समयबद्ध तरीके से पांच सालों में पूरा कर लिया जाएगा।

चुनावी चर्चाएं जब बहस में तब्दील हो जाती हैं तो रोचकता और बढ़ जाती है। बुनियादी जरूरतों, ग्रामीण विकास, खेत-खलियानों और किसानों की भलाई के लिए वर्तमान व पिछली सरकारों की बखिया उधड़नी शुरू होती है तो फिर समाप्त होने का नाम नहीं लेती। मीडिया प्रतिनिधियों को खबरों का सही मसाला यहीं से मिलता है।

अकसर प्रत्याशियों के भेदिये भी इन चर्चाओं में शामिल हो जाते हैं और चुनावी गणित का अंदाजा लगाने के प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं।

राजस्थान में 25 नवंबर 2023 को होगा मतदान

चुनाव आयोग ने राजस्थान में मतदान की तारीख में बदलाव किया है। अब प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर 2023 (शनिवार) को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि पहले मतदान की तिथि 23 नवंबर रखी गई थी। इस दिन देवउठनी एकादशी का अबूझ सावा है। प्रदेश में इस दिन काफी शादियां और कई मंदिरों में बड़े आयोजन होते हैं। इस दिन मतदान होता तो मत प्रतिशत घटने की आशंका थी। अतः लाखों लोगों, मीड़िया और विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मतदान की तारीख बदलने का आग्रह किया था। इसे दृष्टिगत रखते हुए चुनाव आयोग ने संशोधित आदेश जारी किए हैं।

नया चुनाव कार्यक्रम

अधिसूचना: 30 अक्टूबर 2023
नामांकन तारीख: 30 अक्टूबर से 06 नवंबर 2023
नामांकन पत्रों की जांच: 07 नवंबर 2023
नाम वापसी की अंतिम तारीख: 09 नवंबर 2023
मतदान: 25 नवंबर 2023
मतगणना: 03 दिसंबर 2023

संपत्ति गिफ्ट करने के बाद वापस नहीं ले सकते

कोई भी व्यक्ति, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, किसी जीवित व्यक्ति के पक्ष में गिफ्ट डीड कर सकता है। इस तरीके से बगैर किसी मौद्रिक लेन-देन के किसी संपत्ति का औपचारिक रूप से स्वैच्छिक हस्तांतरण किया जा सकता है। गिफ्ट डीड एक तहत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज के तौर पर काम करती है। इससे कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बाद में पैदा हो सकने वाले विवाद एक हद तक कम करने में मदद मिलती है।

गिफ्ट डीड में संपत्ति, दानकर्ता और प्राप्तकर्ता का पूरा विवरण होना चाहिए। दाता और प्राप्तकर्ता को गिफ्ट डीड के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। साथ ही दो गवाहों द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 123 और 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के मुताबिक गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। इसके बिना संपत्ति का हस्तांतरण वैध नहीं होगा।

यदि कोई गिफ्ट सभी शर्तें पूरी करता है तो बाद में दाता उसे रद्द नहीं करा सकता, सिवाय इस आधार पर कि दाता की सहमति धोखाधड़ी से या जबरन ली गई थी। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 सीमित परिस्थितियों में गिफ्ट डीड रद्द करने की अनुमति देता है।

फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (एफओपीएल) पर कार्यशाला आयोजित

उपभोक्ताओं के हित में जरूरी है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग

'कट्स' द्वारा रामकृष्ण शिक्षण संस्थान के साथ मिलकर कोटा में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (एफओपीएल) पर एक राज्यस्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के सह निदेशक दीपक सक्सेना ने पैक्ड फूड एक्ट के मानक और नियमों की जानकारी दी। डॉ.जगदीश सोनी (सीएमएचओ) ने अपने उद्बोधन में बाजारों में बिकने वाले जंक फूड व पैकेटबन्द खाद्य पदार्थों व तम्बाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इनके सेवन से देश में कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लडप्रेशर से सर्वाधिक मौत हो रही है। जिसमें बच्चे और युवा वर्ग भी ज्यादा चपेट में आ रहे हैं।

नगर निगम की पूर्व महापौर व प्रमुख महिला डॉक्टर रत्ना जैन ने कहा कि फूड पैकेट और जंक फूड से बच्चे और युवा कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उन्होंने बच्चों और युवाओं को इनके उपयोग में सावधानी बरतने की बात कही। कार्यशाला में कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि पैक्ड फूड के व्यापारी व उद्यमी पैकेट में बन्द खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखे। बन्द पैकेट पर ऊपर की ओर खाद्य सामग्री का विवरण जिसमें फूड एक्ट के नियमों के अनुसार फूड पैकेट में शामिल सभी सामग्री की मात्रा, मूल्य आदि की जानकारी सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए। जिससे खरीदने वाले व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी मिल सके।

कार्यक्रम में डॉ.संजय पांडे और डॉ. आर सी साहनी ने फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को जरूरी बताते हुए लोगों को सावधानी बरतने को कहा। कार्यक्रम में करीब 70 प्रतिभागियों, विद्यार्थियों व अन्य लोगों ने भाग लिया।

शिक्षा पर होता है सर्वाधिक खर्च

आम लोगों की मासिक आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। करीब 65 फीसदी लोग मानते हैं कि वह सर्वाधिक शिक्षा पर खर्च करते हैं। वहीं 94 फीसदी लोगों का मानना है कि पढ़ाई महंगी हुई है। करीब 33 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण लेना पड़ा।

यह सामने आया है पत्रिका की ओर से लोगों द्वारा ऋण लेने की परिस्थितियों पर कराए गए एक ऑनलाइन सर्वे में। सर्वे के मुताबिक 25 फीसदी लोग घर बनाने और 22 फीसदी ने चिकित्सा सेवाओं के लिए ऋण लिया। करीब 62 फीसदी लोगों ने माना कि उनकी मासिक आय उनके खर्चों से कम है। वहीं 78 फीसदी लोगों का मानना है कि घर खर्च को पूरा करने के लिए पति-पत्नी दोनों को जॉब करना जरूरी हो गया है। करीब 58 फीसदी ने पार्ट टाइम काम करने की बात भी स्वीकारी है।

प्रदेश में बढ़ गए 50 लाख मतदाता

राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद करीब 50 लाख मतदाता नए जुड़े है। युवा मतदाताओं की ताकत भी बढ़ी है। राज्य में 18 से 19 साल की आयु के 22 लाख 6 हजार 566 मतदाता हैं, जो वर्ष 2018 के मुकाबले करीब 1 लाख 77 हजार अधिक है। इस आयु वर्ग सहित प्रदेश में अब 5 करोड़ 26 लाख 80 हजार 545 मतदाता हैं।

इनमें 2 करोड़ 73 लाख 58 हजार 627 पुरुष एवं 2 करोड़ 51 लाख 79 हजार 422 महिला हैं। इससे मतदाताओं में लिंगानुपात 920 हो गया है। निर्वाचन विभाग की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जारी अंतिम मतदाता सूची से इसका खुलासा हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मीडिया को बताया कि मतदाता बनने के लिए नामांकन की अंतिम तारीख से दस दिन पहले तक नाम जुड़वाए जा सकेंगे।

श्रमशक्ति में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

देश की श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी एक साल में 4.2 प्रतिशत बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयासों के चलते यह बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा, दक्षता उन्नयन, उद्यमशीलता और कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जा रहे पर्याप्त उपायों की इसमें खास भूमिका रही है। वर्ष 2017-18 में यह संख्या 23.3 फीसदी थी। सबसे अधिक बढ़ोतरी 2019-20 के दौरान हुई है।

प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या

राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, इसके बाद लोगों ने भ्रष्टाचार को लाइलाज बीमारी माना है। बढ़ती महंगाई के लिए भी भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं की सही क्रियान्विति नहीं हो पाना सबसे बड़ा कारण है। यह उभरकर सामने आया है 'ग्राम गदर' जनमत सर्वेक्षण 2023 से।

प्रदेश के विभिन्न जिलों के शहरी और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए गए इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आने वाली प्रदेश की नई सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है तो इसके जवाब में लोगों का कहना है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो वह चुनाव के समय किए गए वायदों को समय पर पूरा करे। प्रदेश की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार नहीं हो इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। हर बार चुनावों में राजनीतिक पार्टियां युवाओं से भरपूर रोजगार देने जैसे कई वादे तो करती हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद युवा अपने को ठगा सा महसूस करने लगते हैं।

कीटनाशक बिगाड़ रहे लोगों की सेहत

प्रदेश में अलवर सहित तिजारा और भिवाड़ी के दूध और पानी में आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक की मात्रा सर्वाधिक मिली है, जो कि सेहत के लिए घातक है। इससे कैंसर, ऑप्टिज्म जैसी कई गंभीर बीमारी हो सकती है। इन क्षेत्रों में दूध और पानी के लगभग 200 सैंपल लिए गए जिनकी जांच में इसकी पुष्टि हुई है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि यहां पर खेतों में पैदावार को कीटों से बचाने और जल्द पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल अधिक किया जा रहा है। इससे यहां उपजाऊ भूमि खराब हो रही है। सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी और आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक पर रोक लगाने की पहल की जाएगी।

महिला आरक्षण को मिली मंजूरी

महिला आरक्षण विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब यह कानून बन गया है। इसका लाभ जनगणना और परिसीमन के बाद मिल सकेगा।

महिलाओं के लिए संसद व राज्य विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाला यह विधेयक संसद के विशेष सत्र में पारित हो गया था। लोकसभा में इसके समर्थन में 454 और विरोध में दो वोट पड़े थे। राज्यसभा में सभी 215 सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया था। यह विधेयक 128वां संशोधन विधेयक है।

सोच-समझ कर दें अपना कीमती वोट

राजस्थान विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। उनके हक में घोषणाओं का अम्बार लग जाता है। उन्हें भ्रमित करने के भी प्रयास किए जाते हैं। कभी गरीबी, भूख व कुपोषण तो कभी जाति व सम्प्रदाय के नाम पर बरगलाया जाता है।

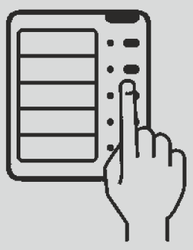

चुनावों में यह सब जनता पहले भी देखती आई है। हर मतदाता को गहन विचार कर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना होगा। स्वच्छ छवि और ईमानदार जनप्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचे, इसके लिए संकल्पित होना है। यदि आपको किसी भी दल का कोई भी उम्मीदवार सही नहीं लगता है तो आपके पास 'नोटा' का बटन दबाने का भी विकल्प है।

बीमा कंपनी उपभोक्ता को इलाज खर्च की पूरी राशि अदा करें

कोटपूतली निवासी शिवकुमार गुप्ता ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय में परिवाद दायर किया। उसने परिवाद में बताया कि विपक्षी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने मेडिक्लेम पॉलिसी होते हुए भी कई शर्तों का हवाला देते हुए उनके इलाज पर खर्च हुई पूरी क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया। उसने आयोग से बकाया राशि 98,820 रुपए दिलाए जाने की गुहार की।

जिला आयोग ने मामले की सुनवाई पर इलाज खर्च की पूरी राशि का भुगतान नहीं करने को सेवा दोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी हर साल मेडिक्लेम रिन्युवल के नाम पर शर्तों को बदलती रहती है और इसकी सूचना कभी परिवादी को नहीं भी दी जाती। लेकिन क्लेम भुगतान के दौरान कंपनी अनुबंध की शर्तों का हवाला देकर उपभोक्ताओं को उनकी क्लेम राशि नहीं देती जो उनकी सेवाओं में कमी है। आयोग ने विपक्षी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह परिवादी शिवकुमार गुप्ता को इलाज खर्च की बकाया राशि 98,820 रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित भुगतान करे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर